अध्याय - 1

प्रस्तावना

1.1 विद्युत क्षेत्र की रूपरेखा

ऊर्जा अवसंरचना के अत्यधिक महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है जो देश के आर्थिक विकास को अभिनिश्चित करती है। विद्युत के लिए माँग की वृद्धि दर सामान्यतया जीडीपी वृद्धि दर से उच्चतर है। अध्ययन इंगित करते हैं कि प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि प्राप्त करने के लिए विद्युत आपूर्ति वार्षिक रूप से लगभग 12 प्रतिशत तक वृद्धि करने की आवश्यकता है। XIवीं पंचवर्षीय योजना में लगातार वृद्धि के लिए अवसंरचना अवरोधों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। अतएव, इसने चिन्हित अवसंरचना क्षेत्रों में घाटे को कम करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के सहयोग के रूप में अवसंरचना क्षेत्रों में लगभग रूपए इक्कीस लाख करोड़ (अमरीकी डालर 500 बिलियन) के निवेश का प्रस्ताव दिया था। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अवसंरचना सेवा प्रदान करने की दक्षता में सुधार करने के साथ-साथ संसाधन उपलब्धता संवर्धन करने के लिए चालू किया गया था।

Xवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षेत्र द्वारा प्राप्त क्षमता संवर्धन 41,110 मेगावाट लक्ष्य की तुलना में 21,080 मेगावाट रहा। Xवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर संचयी प्रतिस्थापित क्षमता ताप के 86,015 मेगावाट सहित 1,32,329 मेगा वाट थी। XIवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ में **78,700 मेगावाट** के विद्युत उत्पादन क्षमता की परिकल्पना की गई थी जिसमें **59,655 मेगावाट** ताप में जोड़ा जाना था। XIवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय ताप को **50,757 मेगावाट** कम करने के लक्ष्य के साथ कुल लक्ष्य **62,374 मेगावाट** तक संशोधित किया गया था। इसके प्रति XIवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर प्राप्त क्षमता संवर्धन 54,964 मेगावाट[1] था जिसमें ताप क्षेत्र में 48,540 मेगावाट का क्षमता संवर्धन शामिल था।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए मूल रूप से जिम्मेदार है। यह विद्युत उत्पादन, सम्प्रेषण और वितरण के सम्बन्ध में परिप्रेक्ष्य आयोजन, नीति प्रतिपादन, निवेश निर्णय के लिए नीतियों के प्रक्रियाकरण और विधान के गठन से सम्बन्धित है। विद्युत भारत के संविधान के अंतर्गत समवर्ती विषय है।

---

[1] *स्रोतः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)*

1.2 अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास

उत्पादन क्षमता के संवर्धन के लिए भारत सरकार (जीओआई) ने सुपर क्रिटिकल टैक्नोलॉजी[2] का उपयोग कर अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) के विकास करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2005) यूएमपीपी से कई राज्यों/राज्यों में अवस्थित वितरण कम्पनियों की विद्युत आवश्यकताएं पूरी होनी हैं और इन्हें "शैल" कम्पनियों के सृजन के माध्यम से निर्माण, स्वामित्व एवं प्रचालन (बीओओ) आधार पर विकसित किया जाना था। प्रत्येक यूएमपीपी के लिए प्रति परियोजना ₹ 16,000- 20,000 करोड़ की लागत के साथ लगभग 4,000 मेगावाट की क्षमता का अनुमान किया गया था। जनवरी 2005 में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी "विद्युत की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए दिशानिर्देशों " के अनुसार प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली आधारित टैरिफ के आधार पर परियोजना विकासक की पहचान की जानी थी।

एमओपी की यूएमपीपी के विकास में निर्णायक भूमिका है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें एमओपी के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, में कोयला ब्लॉक आबंटन/कोल लिंकेज, पर्यावरण/वन अनुमति, वाटर लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ समन्वयन शामिल है। एमओपी ने यूएमपीपी के विकास के प्रयोजन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को नामित किया (नवम्बर 2005)।

यूएमपीपी सम्बन्धित सभी प्रमुख मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु 14 जून 2007 को एक अधिकृत प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) का गठन किया गया था। ईजीओएम की प्रथम बैठक 20 जून 2007 को हुई थी और वर्तमान (14वीं) बैठक 28 अप्रैल 2012 को हुई थी।

1.3 विशेष प्रयोजन वाहन की संकल्पना

एमओपी ने यूएमपीपी के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवीज़) निर्धारित किया। एसपीवी संकीर्ण, विशिष्ट ,अथवा अस्थायी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सृजित एक कानूनी इकाई (सामान्यतया एक लिमिटेड कम्पनी अथवा एक लिमिटेड भागीदारी) है और जिन्हें वित्तीय जोखिम से पृथक करने के लिए कम्पनियों द्वारा विशेष रूप में उपयोग किया जाता है। अपनायी गई कार्यप्रणाली

---

[2] *सुपर क्रिटिकल टैक्नोलॉजी का तात्पर्य स्टीम टरबाईन इनलेट में न्यूनतम भाप प्राचलों का अनुसरण करने वाली प्रौद्योगिकी है*
मेन स्टीम प्रेशरः 247 किग्रा/सीएम2 (एबीएस)
मेन स्टीम तापमानः 535 डिग्री सी
रिहीट स्टीम तापमानः 565 डिग्री सी

के अनुसार एसपीवी ने खरीदने वालों[3] की ओर से बोली प्रक्रिया के लिए 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में कार्य किया और प्रारम्भिक कार्यकलापों जैसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ कार्यस्थल पहचान, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण, वन इत्यादि सम्बन्धित विभिन्न अनुमतियाँ प्राप्त करने में कोयला ब्लॉक आबंटन (पिट-हैड स्टेशन के मामले में) को सुगम बनाया। बोली लगाने वाले को चिन्हित करने के बाद एसपीवी को शेयर खरीद करार के निष्पादन और अधिग्रहण कीमत को पीएफसी को भुगतान पर सफल बोली लगाने वाले को हस्तांतरित किया गया था।

एसपीवी, पृथक कम्पनियों के रूप में, निदेशक बोर्ड (बीओडी) द्वारा संचालित किए गए थे। बीओडी के अध्यक्ष पीएफसी द्वारा अपने कार्यकारी निदेशकों से नामित थे। अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक एसपीवी के प्रत्येक दिन के कार्यकलापों की मुख्य कार्यकारी जो बीओडी में प्रतिनिधि थे, के साथ देख-रेख की गई थी।

1.4 यूएमपीपी की प्रास्थिति

प्रारम्भ में नौ यूएमपीपी लेने के लिए चिन्हित किए गए थे और बाद में अतिरिक्त सात परियोजनाएं यूएमपीपी की सूची में जोड़ी गई थी। अब तक चिन्हित (मार्च 2012) 16 यूएमपीपी में से पीएफसी ने पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों के रूप में प्रत्येक में छः पिट हैड कार्यस्थलों और छः तटीय कार्यस्थलों में यूएमपीपी के विकास के लिए 2005-06 से 2011-12 तक के दौरान ₹ 5 लाख के प्रदत्त शेयर पूंजी के साथ 12 शैल कम्पनियाँ (एसपीवी) बनायी। छः पिट हैड कार्यस्थल मध्य प्रदेश में सासन, झारखंड में तिलैया, छत्तीसगढ़ में सरगुजा और ओडिशा में सुन्दरगढ़, साखीगोपाल एवं घोगारपल्ली हैं। छः तटीय कार्यस्थल गुजरात में मुन्द्रा, आन्ध्रप्रदेश में कृष्णापत्तनम, कर्नाटक में टादरी, महाराष्ट्र में मुंगे, तमिलनाडु में छेयुर और आन्ध्र प्रदेश में तातिया हैं।

---

[3] *खरीदने वाले - लाभभोगी राज्य और उनकी विद्युत वितरण उपयोगिताएं*

मुन्द्रा यूएमपीपी

एसपीवी ने मार्च 2006 से मार्च 2012 के दौरान छः यूएमपीपी के लिए संभावित बोली लगाने वालों से बोलियाँ आमंत्रित की। बोली प्रक्रिया पूरी हुई थी और ठेके चार यूएमपीपी अर्थात् सासन, मुन्द्रा, कृष्णापत्तनम और तिलैया के सम्बन्ध में प्रदान किए गए थे जबकि शेष आठ अभी प्रदान किए जाने थे (मार्च 2012)। अब तक प्रदान किए गए चार यूएमपीपी के ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैं :

यूएमपीपी का नाम	एसपीवी का नाम	डेवलपर जिन्हें प्रदान किया गया	स्वीकृत समीकृत टैरिफ (बिजली की प्रति यूनिट ₹)*	25 वर्षों के लिए टैरिफ संग्रहण (₹ करोड़ में)@	वर्तमान प्रास्थिति
मुन्द्रा 4000 मेगावाट (5x 800 मेगावाट)	कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (10.02.2006 को निगमित)	टाटा पॉवर कम्पनी लिमिटेड	2.264	1,67,784	फरवरी 2012 में 800 मेगावाट की एक यूनिट चालू हुई थी और परियोजना 30 अक्तूबर 2013 को चालू होने के लिए निर्धारित है
सासन 3960 मेगावाट (6x 660 मेगावाट)	सासन पॉवर लिमिटेड (10.02.2006 को निगमित)	रिलायंस पॉवर लिमिटेड	1.196	87,749	अभी चालू नहीं हुई है क्योंकि 660 मेगावाट की प्रथम यूनिट के चालू करने की निर्धारित तारीख 31.01.2013 है। परियोजना 30 जून 2014 तक चालू होने के लिए निर्धारित है

यूएमपीपी का नाम	एसपीवी का नाम	डेवलपर जिन्हें प्रदान किया गया	स्वीकृत समीकृत टैरिफ (बिजली की प्रति यूनिट ₹)*	25 वर्षों के लिए टैरिफ संग्रहण (₹ करोड़ में)@	वर्तमान प्रास्थिति
कृष्णापत्तनम 3960 मेगावाट (6x 660 मेगावाट)	कोस्टल आन्ध्रा पॉवर लिमिटेड (24.08.2006 को निगमित)	रिलायंस पॉवर लिमिटेड	2.333	1,71,169	अभी चालू नहीं हुई है। प्रथम यूनिट और परियोजना के चालू होने की निर्धारित तारीख क्रमशः सितम्बर 2013 एवं अक्तूबर 2015 है। तथापि विकासक ने इंडोनेशिया सरकार के नये विनियम का उल्लेख कर परियोजना कार्यस्थल पर कार्य बंद कर दिया है जो बेंचमार्क बाज़ार मूल्य से कम पर कोयला की बिक्री को निषिद्ध करता है।
तिलैया 3960 मेगावाट (6x 660 मेगावाट)	झारखंड इंटीग्रेटेड पॉवर लिमिटेड (02.01.2007 को निगमित)	रिलायंस पॉवर लिमिटेड	1.77	1,29,862	अभी चालू नहीं की गयी है क्योंकि प्रथम यूनिट और परियोजना के चालू करने की निर्धारित तारीख क्रमशः मई 2015 और जून 2017 है।

** टिप्पणीः स्तरीकृत टैरिफ भारित औसत टैरिफ है।*

@ स्तरीकृत टैरिफ आधार पर निकाला गया।

1.5 शेष यूएमपीपी की प्रास्थिति

शेष 12 यूएमपीपी की प्रास्थिति नीचे ब्यौराबद्ध है

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	परियोजना की अवस्थिति	एसपीवी के निगमन की तारीख	31.3.2012 की वर्तमान प्रास्थिति
1.	छत्तीसगढ सरगुजा पॉवर लिमिटेड (पिट हैड)	गॉव सल्का और खमरिया, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़	10.02.2006	मार्च 2010 में आरएफक्यू बोली जारी की गई आरएफक्यू की प्रस्तुति की अंतिम तारीख को समय-समय पर जून 2012 तक बढ़ाया गया
2.	कोस्टल कर्नाटक पॉवर लिमिटेड (कोस्टल)	राज्य सरकार ने तदाली को उचित साइट के रूप में सुझाव दिया है	10.02.2006	परियोजना के पर्यावरण प्रभाव के कारण स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने के कारण साइट को अंतिम रूप नहीं दिया गया हैं।

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	परियोजना की अवस्थिति	एसपीवी के निगमन की तारीख	31.3.2012 की वर्तमान प्रास्थिति
3.	महाराष्ट्र मेगा पॉवर लिमिटेड (कोस्टल)	राज्य सरकार ने तेहसील देवगढ़ में मुंगे गाँव के नजदीक साइट के लिए सहमति प्रदान की है	01.03.2006	स्थानीय आंदोलन से साइट निरीक्षण रूक गया। कार्य स्थल को महाराष्ट्र सरकार और उस क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधियों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा
4.	ओडिशा इंटिग्रेटेड पॉवर लिमिटेड (पिट हैड)	सुंदरगढ जिला मीनाक्षी	24.08.2006	अगस्त, 2011 में आरएफक्यू बोलियां खोली गई और मूल्यांकन प्रगति पर था
5.	कोस्टल तमिलनाडु पॉवर लिमिटेड (कोस्टल)	कांचीपुरम जिला में चेय्युरगांव	09.01.2007	भूमि अधिग्रहण के लिए आरंभिक अधिसूचना जारी की गई। भूमि के लिए मुआवजा की रकम को अंतिम रूप दिया जा रहा था
6.	तटीय आंध्र मेगा पॉवर लिमिटेड (कोस्टल)	आंध्र प्रदेश सरकार से प्रकासम जिला में कोटापेटा साइट प्राप्त हुआ	17.04.2009	साइट को अंतिम रूप दिया गया लेकिन स्थानीय निवासीयों द्वारा प्रतिरोध करने के कारण आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा भूमि नहीं दी गई
7.	घोगरापल्ली इंटिग्रेटेड पॉवर लिमिटेड (पिट हैड)	साइट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है (ओडिसा)	09.02.2010	अभी तक साइट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है
8.	सखीगोपाल इंटिग्रेटेड पॉवर लिमिटेड (पिट हैड)	अभी तक साइट को अंतिम रूप दिया जाना है (ओडिशा)	09.02.2010	अभी तक साइट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है
9.	अभी तक एसपीवी का गठन नहीं किया गया	गुजरात दूसरा यूएमपीपी	लागू नहीं	अभी तक साइट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है
10.	अभी तक एसपीवी का गठन नहीं किया गया	झारखंड दूसरा यूएमपीपी	लागू नहीं	अभी तक साइट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है
11.	अभी तक एसपीवी का गठन नहीं किया गया	तमिलनाडु दूसरा यूएमपीपी	लागू नहीं	अभी तक साइट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	परियोजना की अवस्थिति	एसपीवी के निगमन की तारीख	31.3.2012 की वर्तमान प्रास्थिति
12.	अभी तक एसपीवी का गठन नहीं किया गया	आंध्र प्रदेश तीसरा यूएमपीपी	लागू नहीं	साइट पर स्पष्टता की कमी के कारण एमओपी ने परियोजना को स्थगित कर दिया

कृष्णापत्तनम स्थल